उत्तर प्रदेश शासन
गृह(पुलिस)अनुभाग–9
संख्या–3347/छः–पु0–9–16–13(10)/84टी0सी0
लखनऊः दिनांकः 21 दिसम्बर,2016

अधिसूचना
(प्रकीर्ण)

सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (अधिनियम संख्या–3, सन् 1867) की धारा–2 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम के समस्त उपबन्धों का (जिनका विस्तार पहले नहीं किया गया है) जिला शाहजहांपुर में वर्ष 2016–17 मेला माघ रामनगरिया ढाईघाट के क्षेत्र पर जिसमें तहसील जलालाबाद, थाना– मिर्जापुर और उक्त मेला के आठ किलोमीटर अर्द्धब्यास के भीतर का क्षेत्र समाविष्ट है, दिनांक 06.01.2017 से 13.02.2017 (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) तक की अवधि के लिए विस्तार करते हैं।

आज्ञा से,

मणि प्रसाद मिश्र
सचिव।

संख्या–3347/छः–पु0–9–2016, तददिनांकः

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक के भाग–4, खण्ड–ख में प्रकाशनार्थ प्रेषित। 5–5 मुद्रित प्रतियां शासन एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर को कृपया भेजें।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या–3347/छः–पु0–9–2016, तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
(3) जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर को उनके पत्र संख्या–200/एल0बी0सी0, दिनांक 14.12.2016 के संदर्भ में इस अभ्युक्ति के साथ कि कृपया मुद्रित प्रतियां निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0, इलाहाबाद से सीधे प्राप्त कर लें।
(4) **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।**
(5) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।